उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या-240/2018/4052/71-1-18-जी-103/2018

लखनऊः दिनांकः 13 सितम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के विरूद्ध कम्युनिटी मेडिसिन की विशिष्टिता में आचार्य के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु शासन के पत्र संख्या-981/71-1-2015-जी-227/2010, दिनॉक 13-08-2015 द्वारा प्रेषित अधियाचन के क्रम में लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र संख्या-119/42/डी0आर0/सेवा-8/2015-16, दिनांक 04-07-2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयन संस्तुति के आधार पर राज्यपाल महोदय डा0 हरिशंकर जोशी, (रजिस्ट्रेशन संख्या-52820124811), पता-म0नं0-बी0-7, प्रोफेसर कालोनी, रोहिलखण्ड मेडिकल कालेज, परिसर बरेली, उ0प्र0-243006 को वेतनमान रू0 37400-67000, ग्रेड पे रू0 10,000/- में राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में आचार्य, कम्युनिटी मेडिसिन के पद पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) संबंधित अभ्यर्थी को समय-समय पर प्रदत्त शासनादेशों के अंतर्गत अनुमन्य मॅहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होगें।

(2) 01 माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(4) उत्तर प्रदेश सरकारी चिकित्सक (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली 1990 तथा यथासंशोधित नियमावली के प्राविधानों के अधीन होगी। उक्त नियमावली के नियम 18 के अंतर्गत परिवीक्षा अवधि 02 वर्ष की होगी।

(6) यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

(7) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नही हुआ है वे कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगे।

(7) अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन एवं प्राग्वृत्त के सत्यापन की आख्या में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनके चयन/नियुक्ति को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होगें:-

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

(3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-**240/2018/4052/71-1-18**(1)/71-1-18-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहारनपुर।
6. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. डा0 हरिशंकर जोशी, (रजिस्ट्रेशन संख्या-52820124811), पता- म0नं0-बी0-7, प्रोफेसर कालोनी, रोहिलखण्ड मेडिकल कालेज, परिसर बरेली, उ0प्र0-243006(पंजीकृत)।
9. कार्मिक अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।